दूरभाष: 0522–2286709,2286710
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0
नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांकः–1919/10/छ:/ई–टेण्डरिंग/निर्माण/2017–18 दिनांकः–22/08/2017

समस्त सहा0 परि0 अधि0/परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**ठेकेदारों की सूचीबद्धता/पंजीकरण हेतु गाइड लाइन्स के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक ठेकेदारों की सूचीबद्धता/पंजीकरण हेतु गाइड लाइन्स संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद में ठेकेदारों की सूचीबद्धता/पंजीकरण गाइड लाइन्स के अनुरूप सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–ठेकेदारों की सूचीबद्धता/पंजीकरण हेतु गाइड लाइन्स।

22/08/2017

(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. नोडल ऑफीसर, सूडा ई–टेण्डर प्रणाली/वेब मास्टर सूडा।

(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)

जनपद..................

ठेकेदारों की सूचीबद्धता/पंजीकरण हेतु गाइड लाइन्स

निर्गत तिथि- 22 अगस्त 2017

मूल्यः रु1000/-

अध्याय 1

योजना

उद्देश्य

1—1 इस योजना का उद्देश्य, मान्यता प्राप्त ऐसे ठेकेदारों की सूची बनाये जाना है जो विभिन्न प्रकार एवं परिणाम के कार्यों को उचित समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार तथा एक कार्मिक के समान कर सकने में सक्षम हो। अतः इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रभाव इन क्षेत्रों में पक्षकार की मान्यता प्रदान करना है।

सूचीबद्ध ठेकेदारों को लाभ

1. निविदा प्राप्त की एक—एक प्रति सूचीबद्ध ठेकेदारों को उनके अनुरोध पर एवं निर्धारित मूल्य पर भुगतान करने पर बिना किसी अग्रिम छानबीन के उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रक्रिया

1—1(i) सूचीबद्धता के इच्छुक ठेकेदार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना—पत्र दे सकते हैं जो जिला मुख्यालय स्थित फार्म कीपर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र वांछित शुल्क सहित जिला के परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।

(ii) आवेदन—पत्र पर निर्णय से ठेकेदार को सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाएगा और प्रार्थना स्वीकार होने की स्थिति में एक निर्धारित शुल्क जमा हो जाने पर ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

सीमाएँ

1—2 (i) एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से एक या एक से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदारी की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदारी की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता है। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगी।

EE

नाम वापस लेना

1–3 (i) सूचीबद्ध ठेकेदार पंजीकरण सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है एवं उक्त आवेदन की स्वीकृति के उपरान्त उसका नाम पंजीकरण सूची एवं मेलिंग लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। यदि ठेकेदार ने स्थायी धरोहर धनराशि जमा कर रखी है तो वह उन सभी डिवीजन से अदेयता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके जहां वह निविदा देने के लिए अधिकृत था, धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नाम वापस लेने का प्रार्थना–पत्र देते समय निम्न पैरा 1–5,1–6 तथा 1–7 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही लम्बित हो तो ऐसी दशा में मामले के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जायेगी।

(ii) समस्त सुविधायें एवं मान्यताएं जो ठेकेदार को प्राप्त हों, नाम वापस लेने पर समाप्त हो जाएंगी। यदि उसके द्वारा पंजीकरण पुनः करने की प्रार्थना की जाती है तो इसे नए पंजीकरण के लिये प्रार्थना पत्र माना जायेगा।

निलम्बन

1–4 किसी भी ठेकेदार, जिसके विरूद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक न दी जायेगी जब तक उसके विरूद्ध लगे आरोपों की जाँच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता।

(क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार–बार दुराचरण।
(ख) कार्य की असंतोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरंतर दृष्टांत।
(ग) ऋण ग्रस्तता में अभ्यस्त होना।
(घ) बाजार में दुर्नाम।
(ड़) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अवहेलना।
(च) नशे की हालत में कार्य स्थल पर उपस्थित होना।
(छ) निम्न स्तर पर कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।
(ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।
(झ) निर्गत की गई सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।
(ट) जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की सामग्री का गबन या दुरूपयोग।
(ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्त्रोतों तक सूचनाएं पहुंचाना।
(ड) किसी क्रिमिनल केस में न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित करने पर पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
(ढ) समय–समय पर अन्य जो आदेश दियें जाये।

सूची से हटाया जाना

1–5 ऐसे ठेकेदार को जो,

(i) उपरोक्त पैरा 1–4 में किसी दोष के लिए दोषी पाया जाए अथवा

(ii) आचरण की दृष्टता से संबंधित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा

(iii) जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के समानान्तर किसी अन्य अभियंत्रण संस्था द्वारा काली सूची में रखा गया हो अथवा

(iv) निम्नलिखित पैरा 1–6 में निहित आयोग्यता में आता हो।

पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से तुरन्त निकाल दिया जायेगा। ऐसा आदेश वाला अधिकारी इस बात को स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थायी है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है । आदेश अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।

ऐसे ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या पैरा 1–4 के अन्तर्गत निलंबित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ण या हर्जाना का हकदार न होगा।

अनुदेश

पंजीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी सूची से फर्म का नाम हटाने के आदेश पारित करेगा।

अयोग्यता

1–6 वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह

(i) आचरण की दृष्टि से संबंधित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हों अथवा उससे संबंध रहा हो।

(ii) दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा

(iii) जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, अथवा

(iv) जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के किसी भी कर्मचारी/अधिक़ारी से आर्थिक रूप से या अन्य किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, अथवा

(v) अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा पैरा 1–5 के अन्तर्गत हटाया गया हो एवं अवधि जिसके लिए वह हटाया गया हो, समाप्त नहीं हुई है। प्रतिबन्ध यह कि ऐसे मामलों में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) अपने विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकते हैं।

अपवाद

1–7 नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाए जाने से संबंधित मामलों के प्रत्योवदन परियोजना अधिकारी को दिये जा सकते हैं। तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को होगा। प्रारंभिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

EE

C.F.

अध्याय 2

वर्गीकरण

ग्रुप

2–1 जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय में ठेकेदार **भवन, सड़क, नाली, विद्युत एवं जल आदि** में सूचीबद्ध किए जायेंगे।

वर्गीकरण

2–2 प्रत्येक ग्रुप में ठेकेकदारों को निम्नलिखित श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाएगा।

श्रेणी A- किसी भी राशि तक के कार्य के लिए अर्हता।

श्रेणी B- रू0 तीस लाख की लागत तक के कार्यों के लिए अर्हता।

श्रेणी C- रू0 पन्द्रह लाख की लागत तक के कार्यों के लिए अर्हता।

पंजीकरण स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी

2–3 ठेकेदारों/फर्मों के पंजीकरण की स्वीकृति डूडा स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा गठित निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी A,B,C में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अकिभकरण (डूडा) के स्तर से की जायेगी।

2–4 ठेकेदार की योग्यता

विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं–

2–4–1 वे ठेकेदार जो श्रेणी A पंजीकरण के इच्छुक हों,

श्रेणी A हेतु पिछले तीन वर्षो में कम से कम दो करोड़ से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक किये गये हों।

श्रेणी B हेतु पिछले तीन वर्षो में कम से कम 75 लाख से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक किये गये हों।

श्रेणी C हेतु पिछले तीन वर्षो में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक किये गये हों।

अध्याय 3

तकनीकी स्टाफ सम्बन्धी आवश्यकताएँ

3–1 इन ग्रुपों के लिए श्रेणी ABC में पंजीकृत ठेकेदार जब जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में कोई कार्य सम्पादित करायेंगे, उन्हें निम्न प्रकार से तकनीकी स्टाफ की भर्ती करनी होगी।

श्रेणी	कम से कम तकनीकी स्टाफ
A	सिविल / विद्युत कार्य हेतु सम्बन्धित ट्रेड में स्नातक अभियन्ता / डिप्लोमाधारी अभि0 ठेकेदार / फर्म को नियुक्त करना होगा।
B	सिविल / विद्युत कार्य हेतु डिप्लोमाधारी अभि0 ठेकेदार / फर्म को नियुक्त करना होगा।
C	श्रेणी C हेतु तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नहीं होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारों को दरें समान होने पर वरीयता दी जायेगी जिसके पास पूर्णकालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हों।

अध्याय 4

पंजीकरण एवं नवीनीकरण

4–1 निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं अनुदेशों की एक प्रति इच्छुक अभ्यर्थी को रू0 1000/– का भुगतान करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

पंजीकरण शुल्क

4–2 आवेदन –पत्र स्वीकृत होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रथम पंजीकरण हेतु निम्न प्रकार शुल्क पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करेगा।

श्रेणी	A	B	C
पंजीकरण शुल्क	रू0 60,000/–	रू0 40,000/–	रू0 20,000/–

प्रथम पंजीकरण एक मान्यता प्राप्त ठेकेदार को आदेश की तिथि से दो वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा।

नवीनीकरण शुल्क

4–3 पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु सिविल कार्यों हेतु पंजीकरण की समाप्ति अवधि से पूर्व ही निम्न प्रकार अग्रिम शुल्क जमा करना होगा।

श्रेणी	A	B	C
नवीनीकरण शुल्क	रू0 20,000/–	रू0 15,000/–	रू0 10,000/–

यदि प्रथम पंजीकरण की अवधि समाप्त होने अथवा प्रत्येक नवीनीकरण के एक माह पूर्व नवीनीकरण शुल्क सहित सादे कागज पर आवेदन नहीं किया जाता है तो पंजीकरण/नवीनीकरण अवधि समाप्त होने पर उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा पुनः पंजीकरण हेतु नया आवेदन पत्र देना होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण उपरोक्तानुसार सिर्फ वित्तीय वर्ष हेतु ही मान्य होगा चाहे पंजीकरण की किसी भी तिथि व माह में किया गया हो। पंजीकरण/नवीनीकरण धनराशि जमा करने के बाद वापस नही की जायेगी।

अध्याय 5

सामान्य

6–1 एक ठेकेदार/फर्म एक ही ग्रुप में पंजीकरण करा सकते हैं।

आयकर क्लियरेनस प्रमाण–पत्र

6–2 सभी पंजीकृत ठेकेदारों को उस क्षेत्र के आयकर अधिकारी को प्रत्येक वर्ष के माह जुलाई तक आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र प्राप्त हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उनका कर निर्धारण होता हो। आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र मूलरूप से प्रत्येक वर्ष के माह अगस्त के अन्त में प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि कोई ठेकेदार आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा क्लियरेन्स प्रमाण प्रस्तुत न करने के संबंध में कोई समर्थनीय कारण दर्शाने में असमर्थ रहता है तो उसका नाम पंजीकरण सूची से हटा दिया जायेगा।

6–3 स्वयं की उपलब्धता न होने की दशा में फर्म/ठेकेदार द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) मे कार्य की निविदा/अनुबन्ध, बिल इत्यादि पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण देना होगा।

भूतपूर्व डूडा कर्मचारियों के लिए अयोग्यता

6–4 कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जो जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से सेवामुक्त हो, को डूडा के ठेकेदार के रूप में अथवा ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में डूडा में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि पंजीकरण के बाद भी ऐसा व्यक्ति होना पाया जाता है तो उसका नाम मान्यता प्राप्त ठेकेदार की सूची से हटा दिया जायेगा।

डूडा कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी

6–5 डूडा के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके सम्बन्धियों को ठेकेदार के रूप में पंजीकरण/कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी– निकट सम्बन्धियों में पिता, पुत्र भाई बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास–श्वसुर, दामाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई बहन, माता, मामा–मम्मी, मौसी, चचेरे भाई–बहन, मौसेरे भाई–बहन आदि (संविधान में वर्णित प्राविधान के अनुसार)।

6.6. जिला मजिस्ट्रेट/समकक्ष सक्षम अधिकारी से निर्गत हैसियत (साल्वेन्सी) प्रमाण–पत्र देना होगा।

A	रू0 50 लाख
B	रू0 30 लाख
C	रू0 20 लाख

6.7. आचरण/चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

विनियमों के रहते हुए ऐसे मामलों में जहाँ किसी ठेकेदार का पंजीकरण किसी कारणवश निरस्त किया गया हो इस संबंध में संबंधित डूडा अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह अंतिम होगा।

EE

परिशिष्ट 'क'

महत्वपूर्ण टिप्पणी

1. आवेदन –पत्र दो प्रतियों में जमा होना चाहिये।
2. प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ सभी संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न होने चाहिये।
3. आवेदन पत्र के साथ अंतिम वर्ष के आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र संलग्न करना चाहिए। बिना आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र दिये पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
4. जो अंश लागू न हो काट दिया जाय।
5. ठेकेदारों का जी0एस0टी0 एवं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
6. सिविल एवं विद्युत कार्य हेतु उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक पंजीकरण कराना होगा तथा विद्युत हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाण पत्र लगाना होगा।

उन अधिकारियों की सूची जो ठेकेदारों के पंजीकरण के अभिलेखों का रख–रखाव करेंगे।

ठेकेदारों की श्रेणी	अधिकारी का नाम
श्रेणी A	परियोजना अधिकारी
श्रेणी B	परियोजना अधिकारी
श्रेणी C	परियोजना अधिकारी

परिशिष्ट 'ख'

प्रारूप

जिला नगरीय विकास अभिकरण,..............

ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम एवं पूरा पता (पैन नम्बर एवं आधार सहित)..
....
....

2. फर्म व्यक्तिगत है अथवा अविभाजित हिन्दु परिवार विशेष या पंजीकृत साझेदारी फर्म है। (संबंधित डीड या आर्टिकल्स/एम.ओ.यू. की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।)..
....
....

3. उन व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम जिनके पास फर्म का मुख्तारनामा (Power of Attorney) हो (मुख्तारनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)..
....
....

4. साझेदारों के नाम इनकी लाईबिल्टीज सहित (साझेदारी की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)....................
....

5. बैंकर्स के नाम एवं पूरा पता (बैंक का प्रमाण–पत्र जिसमें फर्म का स्टेटस वर्णित हो संलग्न करें।)........
....

6. व्यापार का स्थान..

7. श्रेणी जिसमें पंजीकरण चाहिए...

8. विगत तीन वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण (कार्य अनुभव)..

i. कार्यों का नाम..

ii. कार्यवार धनराशि..

iii. कार्य सम्पादन का वर्ष..............................(उपरोक्त पूर्ण विवरण पृथक शीट पर अंकित किया जाए)

iv. प्राधिकारी जिसके अधीन कार्य किया गया हो..

<u>टिप्पणी</u>: उन अधिकारियों के जिनके अधीन कार्य किए गये, द्वारा प्रदत्त पत्रों की मूल या सत्यापित प्रतियाँ जिसमें कार्य को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का वर्णन हो, संलग्न की जाए।

1. क्या अभ्यर्थी के पास एक स्थाई अभियंत्रण संस्था है, जो सभी स्तर के बड़े कार्य कर सकें एवं उसके पर्याप्त मशीनरी तथा टूल्स इत्यादि हो? संस्था द्वारा मशीनरी एवं टूल्स के विषय में पूर्ण विवरण का एफीडेविट दिया जाए (श्रेणी A,B, ठेकेदारों के लिए)

2. क्या अभ्यर्थी के पास एक स्नातक डिप्लोमाधारी अभियन्ता है, जो सभी स्तर पर कार्य करने में सक्षम हो। (प्रमाण पत्र की सत्य प्रतियाँ संलग्न करें।)

3. क्या अभ्यर्थी एक कार्यालय रखता है जिसमें एस्टीमेट तैयार करने वाले तथा निविदा एवं देयकों को प्रस्तुत करने तथा पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी कर्मचारी हों? (पूर्ण विवरण ऐफीडेविट पर दिया जाए)

4. क्या अभ्यर्थी डूडा में पहले से ही कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है तो किस श्रेणी में (कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. क्या अभ्यर्थी किसी अन्य विभाग में पंजीकृत है यदि ऐसा हो तो किसी श्रेणी एवं वर्ग में कितनी धराशि तक कार्य कराने के लिए मान्य है? (प्रमाण पत्र की सत्य प्रतियाँ संलग्न करें।)

6. क्या अभ्यर्थी की किसी फर्म में अंशभागी या साझेदारी है?

7. क्या अभ्यर्थी या उसका कोई साझीदार शंकाजनक सुची में रख गया है या निम्न श्रेणी में प्रत्यावर्तित किया गया हो या डूडा अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी से व्यापार के संबंध में प्रतिबन्ध या निलम्बन आदि कर दिया गया हो तथा उसका अधिग्रहण किया गया है?

8. क्या ठेकेदार ने पंजीकरण संबंधी नियमों का अध्ययन कर लिया है तथा उसका अधिग्रहण किया है?

i. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम डूडा में अपना पंजीकरण ठेकेदार के रूप में एक से अधिक नाम से नही कराऊँगा/कराएंगे।

ii. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम अथवा हमारा कोई साझेदार या अंशभागी डूडा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित नहीं है।

iii. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं डूडा में नियुक्त किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित नहीं हूँ जो पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्त हुआ हो। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैने डूडा की बिना अनुमति न तो किसी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को अपनी सेवा में रखा है और न ही रखुंगा जो पिछले दो वर्षों में डूडा से सेवा निवृत्त हुआ हो। (उनके लिए जो अपने नाम से पंजीकरण के इच्छुक हो)

iv. हम प्रमाणित करते हैं कि कोई साझेदार डायरेक्टर डूडा में अधिकारी/कर्मचारी या किसी दूसरे पद से पिछले दो वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त नहीं हुआ है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमने डूडा की बिना अनुमति के न तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी सेवा में रखा है न ही रखेंगे जो पिछले दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुआ हो।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

शपथ–पत्र

मैं..पुत्र श्री..

निवासी का स्थाई पता...

(अस्थायी पता)..का निवासी/निवासिनी हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ:–

(क) मैं फर्म का पार्टनर/प्रोपराइटर हूँ।

(ख) मेरी फर्म, किसी विभाग द्वारा कभी काली सूची में नहीं डाली गई हैं फर्म के किसी पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से काली सूची में नहीं ड़ाला गया है।

(ग) फर्म के उपर किसी विभाग का कोई बकाया नहीं है।

(घ) फर्म के किसी पार्टनर/प्रोपराईर्टर को न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशो हवाश में स्वकथित से पूरी निष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ–पत्र लिख दे रहा हूँ ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथी का पूर्ण हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

पता..